राजस्व लोक अदालत
अभियान - 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–48 / 2015 दायर तारीख 01.10.2015

1. जगदीश पिता दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. श्यामलाल पिता दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. उंकार पिता दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. मथरी पुत्री दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. सुन्दर पुत्री दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. रुल्ला पुत्री दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. गुलाबी पुत्री दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. मु. केशी बेवा दीपा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

मांगीलाल पिजा दुर्गा जाति बंजारा निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रतिवादी

उपस्थितः–
परवेज आलम अधिवक्ता वादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 रा0टि0एक्ट0**

:–निर्णयः– दिनांक 25.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 केम्प गुढा पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को नोटिस तामील के बावजूद अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण मे सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.10.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया की ग्राम आंटी प0ह0 गुढा तहसील बिजौलियां की शरहद में आराजी नं0 537 / 487 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के वादीगण खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है। तथा वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है एंव लगान राज्य सरकार में जमा करवाता आ रहा है। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात का पडोसी है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी का कोई हक अधिकार निहित नही है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी को रहन या विक्रय नही की है। परन्तु प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात का पडोसी होने से वादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी

भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमाज्ञान कर वादीगण की आराजी की सीमा जानकारी दी। जिस पर प्रतिवादी ने वादी की आराजी नं0 537/487 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा पर अतिक्रमण कर रखा है तथा वादीगण को फसल काश्त नही करने दे रहा है। जब वादीगण ने प्रतिवादी को अपना अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने लडाई झगडा किया और वादीगण को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी विधिक अधिकार के अवैध अतिक्रमण कर वादग्रस्त आराजीयात को अपनी आराजीयात से मीला लिया। सीमाज्ञान कराने के बावजूद प्रतिवादी अपना अवैध अतिक्रमण हटाने को तैयार नही है एंव वादग्रस्त आराजीयात पर विधी विरुद्व रुप से अवैध अतिक्रमण कर रखा है। प्रतिवादी प्रभावशाली व्यक्ति है और मौके पर लडाई झगडा करने पर आमदा रहता है, वादीगण प्रतिवादी से मुकाबला करने में सक्षम नही है तथा ना ही कानून को अपने हाथ में लेकर विवाद को बढावा देना चाहते हैं। प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने हेतु वादीगण के पास बेदखली का वादपत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादी को सिपूर्द कराया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अन्त में वादी ने अनुतोष चाहा कि बेदखली की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे कि मौजा आटी प0ह0 गुढा तहसील बिजौलियां की शरहद में आराजी नं0 537/487 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि से बेदखल किया जावे एंव वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादी को पूनः सिपूर्द किये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादी को सिपुर्द किए जाने के बाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः कब्जा नही करे, वादी को बेदखल नही करे न अन्य किसी से नही करावे। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादी से वादीगण को दिलाया जावे। वाद पत्र के तथ्यों ऐव विधी अनुरुप, अन्य अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई। प्रतिवादीगण बावजूद इतल्ला गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादग्रस्त आराजी वादी के उपयोग उपभोग में चली आ रही थी प्रतिवादीगण ने विवाद उत्पन्न कर कब्जा कर लिया जिसके बाबत वादी ने वादपत्र पेश किया वादी खातेदार है। मात्र इस आधार पर खातेदारी समाप्त नही हो सकती कि वादी का कब्जा नही है।

वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज सूची मय दस्तावेज जमाबंदी प्रति संवत 2070 से 2073 व मौका पर्चा की प्रति प्रस्तुत की।

प्रतिवादी की और से दस्तावेज सूची के साथ फोटोप्रति मिलान खसरा व नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण एकपक्षीय होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

पत्रावली [illegible]

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में प्रस्तुत तथ्यों का विस्तार से [illegible] वादी सरकारी काश्तकार व कब्जेधारी है। प्रतिवादी [illegible] नही कि है।

चाहा है। वादीगण की ओर से जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की है। वादपत्र डिक्री कराना फरमावें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से निवेदन किया कि वादी को भूमि आवंटन से पूर्व ही कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है वादपत्र पोषणीय नही है वादपत्र खारीज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

प्रतिवादी ने केवल जवाब में अंकित किया कि कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कि है।

अतः प्रस्ततु वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री योग्य है। ग्राम आंटी स्थित आराजी नं0 537/487 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कब्जा पुनः प्रतिवादी से वादीगण को सिपुर्द किया जावे साथ ही प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी को कब्जा सिपुर्द किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी वादीगण को बेदखल नही करे न ही अन्य से करावे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

25/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (केम्प गुढा)
राजस्व लोक अदालत

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)